मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले चरण को दिखाई हरी झंडी

मरीजों के लिए शुरू की गई मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

अब तंग गलियों व घनी आबादी में भी मरीजों को एम्बुलेंस सेवा मिल सकेगी। साथ ही जाम से बचाने में भी मदद होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने मोटरसाइकल चिकित्सा वाहनों (एम्बुलेंस) की सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को पहली मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाई। तंग गलियों से मरीजों को लाने और ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहले चरण में 16 मोटरसाइकिलों की सेवा शुरू की। यह सेवा अभी घनी आबादी व झुग्गी बस्तियों वाले इलाकों में ही शुरू की गई है।

इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है ताकि वे अपने वायदों को पूरा कर सकें। केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय पर आयोजित एक समारोह में पहली मोटरसाइकिल एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, सत्येंद्र जैन, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और तंग गलियों में बड़ी एम्बुलेंस रिस्पांस वाहनों को ले जाने और लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली (पूर्वी, उत्तर पूर्व और शाहदरा जिला) और घनी आबादी और झुग्गी-झोपड़ियों में मरीजों को लाने और अस्पताल में पहुंचाने के लिए 16 मोटरसाइकल एम्बुलेंस के बेड़े को शामिल किया है। इस परियोजना को मंत्रिपरिषद ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद शुरू किया है। इसके लिए 40 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

एक साल से बेकार पड़ी थीं मोटरसाइकिलें : गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पूर्वी दिल्ली के लिए शुरू की गई मोटरसाइकलि एम्बुलेंस सेवा को केजरीवाल सरकार की लचर व्यवस्था का प्रतीक बताया। जिस कछुए की चाल से आम आदमी पार्टी सरकार चल रही है यह उसका नायाब नमूना है। नवंबर, 2017 में तंग गलियों में एम्बुलेंस सेवाएं पहुंचाने के लिए उपराज्यपाल ने दुपहिये फास्ट रेस्पोंडर व्हीकल की अनुमति दी थी। एम्बुलेंस मोटरसाइकिलें एक साल पहले खरीद ली गईं थी, लेकिन सरकार इन्हें एम्बुलेंस के रूप में सुसज्जित नहीं कर पाई और ना ही मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चलाने के लिए पेरामेडिकल स्टाफ, फस्टऐड-किट, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि की व्यवस्था कर पाई। उन्होंने कहा कि एक साल बेकार खड़े रहने के बाद अब 16 एम्बुलेंस मोटरसाइकिलों को मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाई गई। ये मोटरसाइकिलें अभी भी सड़क पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अभी दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में इस सेवा को शुरू किया जाना है लेकिन सरकार की लचर व्यवस्था के कारण ऐसा होना संभव नही दिखता।

शीला की टीम में अंदरखाने मचा घमासान

अयज पांडेय
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित की प्रस्तावित नई टीम को लेकर पार्टी में मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। लोकसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर दीक्षित की ओर से बनाई गई विभिन्न समितियों को लेकर पार्टी में अंदरखाने घमासान मच गया है। सूबे के कांग्रेसियों के एक वर्ग में नई समितियों में शामिल किए गए नेताओं के नाम को लेकर भारी नाराजगी है। इस नाराजगी को देखते हुए दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने गुरुवार को सूबे के तीनों कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक की। इन समितियों का एलान किसी भी वक्त किए जाने की संभावना है।

सूत्रों की मानें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा का नाम प्रस्तावित किया है जबकि पूर्व सांसद परवेज हाशमी को समिति का संयोजक बनाने की सिफारिश की गई है। इसी तरह घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री को बनाए जाने का प्रस्ताव है जबकि प्रचार-प्रसार समिति की कमान दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री रमाकांत गोस्वामी को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। गोस्वामी के साथ पहले ही प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए जितेंद्र कोचर को चुनाव समिति का संयोजक नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई है जबकि उन्हें प्रचार-प्रचार समिति सहित कुछ अन्य समितियों में भी जिम्मेदारी दिए जाने का प्रस्ताव है।

शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे मंगतरात सिंघल ने विभिन्न समितियों के गठन को लेकर पूछने पर कहा कि इन समितियों की सूची बुधवार को ही कांग्रेस मुख्यालय को भेज दी गई थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई समितियों का एलान जल्दी हो जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने इन समितियों के लिए नामित नेताओं को लेकर कुछ भी बताने से इनकार किया।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN: L45203DL1976GOI008171, ई-मेल: info@ircon.org; वेबसाइट: www.ircon.org
रजिस्टर्ड कार्यालय: सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली-110017;
फोन: +91-11-29565666; फैक्स: +91-11-26522000/26854000

31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम का सार

रु. करोड़ में

विषय	स्टैंडअलोन					
	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ माह		समाप्त वर्ष
	31 दिसंबर 2018 (अनअंकेक्षित)	30 सितम्बर 2018 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर 2017 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर 2018 (अनअंकेक्षित)	31 दिसंबर 2017 (अनअंकेक्षित)	31 मार्च 2018 (अंकेक्षित)
संचालन से कुल आय	1,215.89	962.29	908.59	2,882.31	2,393.49	3,896.39
कर पूर्व शुद्ध लाभ	147.48	125.49	159.01	391.59	237.60	533.31
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	102.77	*83.57	112.15	*349.09	171.55	390.86
कुल व्यापक आय	101.38	79.95	92.60	355.60	195.79	392.24
इक्विटी शेयर पूंजी	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05	94.05
अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)						3657.90
आय प्रति शेयर (एन्युअलाइज़्ड नहीं)						
(प्रत्यक्ष मूल्य ₹10/- प्रत्येक)						
(अ) मौलिक (₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01
(ब) डाइल्यूटेड (₹)	10.93	8.89	11.36	37.12	17.35	40.01

* कर पश्चात शुद्ध लाभ में पिछले वर्षो के आकलन के लिए रिफंड के रु. 84.50 करोड़ शामिल है।

नोट:
1. 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुए कंपनी के स्टैंडअलोन तिमाही एवं नौ माह परिणाम वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किया गया, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 07 फरवरी 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही के आंकड़े, 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुए नौ महीनों के संबंध में वर्ष की तारीख के आंकड़ों के बीच शेष के आंकड़े हैं और वर्तमान वर्ष के छमाही यानी 30 सितंबर 2018 तक के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।
2. उर्पयुक्त निष्कर्ष अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप से है जिसे सेबी (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किया गया है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही और नौ माह के अनअंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बीएसई (www.bseindia.com/corporates) एनएसई (www.nseindia.com/corporates) के स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.irocn.org. पर उपलब्ध है।
3. वर्ष 2018-19 के लिए रु. 10.72 प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश को 7 फरवरी 2019 को आयोजित 250 वीं बोर्ड ऑफ डारेक्टर में मंजूरी दी गई थी।
4. 31 दिसंबर 2018 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए परिणाम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुरूप है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए एवं ओर से
हस्ता/-
एस. के. चौधरी
चेयरमेन व प्रबंध निदेशक
डीन नं. 00515672

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 फरवरी, 2019

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में बोलते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। फोटो : आरुष चोपड़ा

बिजली मामलों के लिए लगेगी विशेष अदालत

बिजली चोरी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बीएसईएस दिल्ली स्टेट लीगल सविर्सेज अथॉरिटी के साथ मिलकर एक विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रही है। बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए 9 और 10 फरवरी को जिला न्यायालय कड़कड़डूमा व आइटीओ स्थित पीएलए बिल्डिंग में लोक अदालत लगाई जाएगी। वहीं, बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए 9 फरवरी को, जिला न्यायालय साकेत व द्वारका में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। (ज.सं.)

LIBERTY
फोन: 28711800/28712998
"द फ़कीर ऑफ वेनिस" (यू/ए) (हिंदी) 2 डी
* फरहान अख्तर, कमल सिंधू
शो का समय: 12.30 अप., 3.30 अप., 6.30 सायं, 9.45 रात्रि
इन्टरनेट बुकिंग: www.libertycinema.in
फोन बुकिंग नं. 39895050

INFORMATION
All the members are informed that Election will be held on Dt. 03.03.2019 (8:00 a.m. to 4:00 p.m.) and Nomination on 14.02.2019 between (10:00 a.m. to 2:00 p.m.) Display of Nominated candidates on 18.02.2019 at 3:00 p.m. withdrawal of Nomination 21.02.2019 between (10:00 a.m. to 2:00 p.m.) of The New Vikas Co. Op. HBS Ltd. Ballabgarh at ARCS Office, Faridabad.
Contact : 9811548296

पत्रकार हत्या मामला : सरकारी वकीलों को नोटिस जारी करने का निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मामले में सरकारी वकीलों के सुनवाई में नहीं जाने को लेकर अचंभा व्यक्त किया और मुख्य सचिव को उन अभियोजकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। पत्रकार के शोकसंतप्त परिजन ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और उसे न्याय दिलाने के लिए तेजी से मुकदमा चलाने की मांग की। सौम्या की 10 साल पहले गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विश्वनाथन मामले पर गंभीरता से गौर किया है।

नियुक्तियां

UNIVERSITY OF ALLAHABAD
(A Central University)
Allahabad – 211 002, U. P. (INDIA)
File No. Estt./Misc./001/2019 Date: 6th February, 2019
APPLIATIONS FOR CHAIR PROFESSOR
The University of Allahabad (A Central University) invites online applications/nomination from Academicians/ Scholars of outstanding track record in the designated areas of studies for the Rajiv Gandhi Professor Chair in Contemporary Studies, at University of Allahabad.
Last Date for apply: online by 27th February, 2019 and hard copy should be reached by 3rd March, 2019 by 5:00 p.m. to the office of Registrar, University of Allahabad, Allahabad-211002, Uttar Pradesh.
For online application form, terms & condition, eligibility and other details, please visit http:// www.allduniv.ac.in
Phone Number: 0532-2461083 REGISTRAR

Debts Recovery Tribunal, Jabalpur
797-11, Shantikunj, South Civil Lines, Jabalpur (MP)-482001
Form No. 4 {See Regulation-15 (1)) (b)}
Notice Under Section 17 of Securitization Act R/W Provisions of The Debts Recovery Tribunal Act and The Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 as Amened from Time to Time
Case No. SA 452/2018
Smt. Rashmit Arora ....Applicant (S)
V/s
Authorised Officer PNB & others.. Defendant (S)
To
(1) Shiv Mangal Mishra S/o S.R. Mishra
(2) Smt. Neelam Mishra W/o Shiv Mangal Mishra
Both R/o A-104, Elaibal, C.G.H.S. Apartment Sector 10, Plot No. 38, Dwarka, New Delhi-110075
An application under Section 17 (1) of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 has been filed before this Tribunal (A copy of application is enclosed).
Show cause as to why the relief prayed for should not be granted. You are required to file reply, if any, in your defence in the paper book form in two complete sets and produce all the documents and affidavit in your support in the Tribunal personally or through your duly authorized agent or legal practitioner and appear before this Tribunal on 27.03.2019 at 10.30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence. You are further directed to supply advance copy of the reply to the SA to the Counsel for the Applicant.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this 31st day of January, 2019.
SEAL
By Order of Tribunal
Registrar

UFLEX 'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922, वेबसाइट : www.uflexltd.com, इमेल : flexsec@vsnl.net

31.12.2018 को समाप्त तिमाही एवं 9 माह के दौरान अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणाम

(₹ लाखों में)

क्र0 सं0	विवरण	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	30.09.2018 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.12.2017 को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	31.12.2018 को समाप्त 9 माह (अनंकेक्षित)	31.12.2017 को समाप्त 9 माह (अनंकेक्षित)	31.03.2018 को वर्ष समाप्त (अंकेक्षित)
1.	कुल आय	198109	202079	168247	591420	500422	682154
2.	अवधि के लिये कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	7395	11539	5229	29903	26850	35391
3.	अवधि के लिये कर पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि)	5434	9610	5230	24480	24072	31221
4.	अवधि के लिये शुद्ध लाभ/(हानि) गैर-नियंत्रित ब्याज के पश्चात	5398	9569	5201	24376	23935	31048
5.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/हानि] (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	(5002)	22853	2330	29771	25868	37947
6.	समतुल्य अंश पूंजी	7221	7221	7221	7221	7221	7221
7.	अन्य इक्वीटी, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के अतिरिक्त एवं गैर-नियंत्रित ब्याज पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार	390250	390250	355661	390250	355661	390250
8.	आय प्रति शेयर (ईपीएस)						
	मूलभूत	7.48	13.25	7.20	33.76	33.15	43.00
	द्रव्य	7.48	13.25	7.20	33.76	33.15	43.00

नोट:
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाही एवं 9 माह के समेकित वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। 31 दिसम्बर 2018 को समाप्त तिमाही एवं 9 माह के स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तिय विवरण का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com पर उपलब्ध है।
2. 1 जुलाई 2017 से प्रभावी, जीएसटी के प्रत्यारोपण पर, राजस्व के आंकडें जीएसटी वसूली के अनन्य रिपोर्ट किए गए हैं, आइएनडी एएस के प्रवधानों के अनुसार और इससे पहले की अवधि के लिए राजस्व के आंकडों के साथ तुलनीय नहीं हैं, जिनमे एक्साइज ड्यूटी/सेवाकर रिकवरी शामिल है।

कृते यूफ्लेक्स लिमिटेड
हस्ता/-
(अशोक चतुर्वेदी)
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
DIN - 00023452

स्थान : नोएडा
दिनांक: 07.02.2019

31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौमाह के समेकित एवं एकल अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	समेकित				
	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाह		समाप्त वर्ष
	31 दिसम्बर 2018 अनअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2017 अनअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2018 अनअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2017 अनअंकेक्षित	31 मार्च 2018 अंकेक्षित
1. परिचालनों से कुल आय	76902	63620	232058	191446	263498
2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं से पूर्व)	4413	5002	16042	13547	19129
3. अवधि के लिए कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	6165	5002	17794	13547	19129
4. अवधि के लिए कर के पश्चात् शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादित एवं/अथवा असाधारण वस्तुओं के बाद)	4621	3787	12838	10295	14166
5. अवधि के लिए कुल व्यापक आय {अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आयों को सम्मिलित करके (कर पश्चात्)}	4116	3029	12250	9356	13721
6. इक्विटी शेयर पूंजी	4523	4160	4523	4160	4160
7. प्रति शेयर आय (₹2 प्रत्येक) (जारी और बंद किए गए परिचालनों के लिए) वार्षिक नहीं					
अ) मूल (₹)	2.08	1.81	5.87	4.92	6.77
ब) तरल (₹)	2.03	1.79	5.73	4.86	6.68

विवरण	एकल				
	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाह		समाप्त वर्ष
	31 दिसम्बर 2018 अनअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2017 अनअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2018 अनअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2017 अनअंकेक्षित	31 मार्च 2018 अंकेक्षित
1. कुल आय	28872	25110	89712	71102	97026
2. कर के पूर्व परिचालनों से आय	3206	2173	11651	6828	8972
3. अवधि के लिए कर पश्चात् लाभ	2478	1633	8685	5357	7008

टिप्पणियां:
1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को 07 फरवरी, 2019 को अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षाकृत किया गया एवं उसी तारीख को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2. उपरोक्त परिणाम भारतीय लेखा मानक (Ind AS) द्वारा निर्धारित तथा उसके साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ पठित प्रासंगिक नियमों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को जिसे आमतौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है, के अनुसार तैयार किए गए हैं।
3. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दायर किए गये 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही एवं नौमाह के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। समेकित एवं एकल वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com, www.bseindia.com एवं कम्पनी की वेबसाइट www.minda.co.in पर उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से
हस्ता/-
अशोक मिंडा
अध्यक्ष एवं समूह मुख्य अधिशासी अधिकारी

स्थान: गुरुग्राम
तिथि: 07 फरवरी, 2019

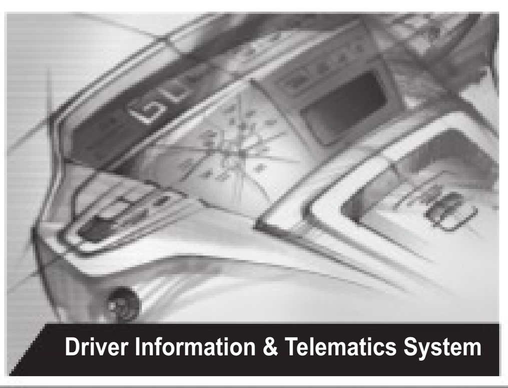

पंजीकृत कार्यालय:
ए-15, अशोक विहार, फेज़-I
दिल्ली-110052
सीआईएन: L74899DL1985PLC020401
फोन: +91 124 4698400
फैक्स: +91 124 4698450
ई-मेल: investor@minda.co.in
वेबसाइट: www.minda.co.in

Minda Corporation is a flagship company of Spark Minda, Ashok Minda Group. The Group is one of the leading automotive component manufacturer in India with a pan-India presence and significant international footprint.